उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 24.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 24.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – कस्बा श्रीनगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना कुलपहाड़ – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना अजनर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
महिला थाना – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 24.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 रमेशकान्त त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान कस्बा बेलाताल के पास रुपये पैसो से हार-जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तो से जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.जगत सिंह पुत्र रामकिशोर उम्र 42 वर्ष निवासी बड़खेडा थाना अजनर जनपद महोबा 2.सतीश कुमार पुत्र रतन लाल उम्र करीब 43 वर्ष निवासी मुहल्ला नरईयापुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 3.प्रमोद पुत्र मईयादीन उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मुहल्ला करारीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से जामा तलाशी 140/- रुपया, मालफड़ 2400/- रुपया व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 261/2025 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

इसी क्रम में उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान कस्बा बेलाताल के पास रुपये पैसो से हार-जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तो से जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.नरेन्द्र अनुरागी पुत्र बिन्दा प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी करारीपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.गौतम सोनी पुत्र रामकिशोर सोनी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मुहल्ला सर्राफा बाजार जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 3.भागीरथ रैकवार पुत्र स्व0 प्रभुदयाल उम्र करीब 44 वर्ष निवासी मुहल्ला करारीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 4.वारिस खान पुत्र शहादत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मो0 बजरिया जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से जामा तलाशी 550/- रुपया, मालफड़ 11000/- रुपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 262/2025 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

प्रथम पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रमेशकान्त त्रिपाठी
2.हे0कां अनिल सिंह चौहान 3.हे0कां मुकेश कुमार

द्वितीय पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल
2.कां0 कुलदीप सिंह 3.कां0 कौशल प्राताप 4.कां0 अनुराग यादव 5.कां0 जितेन्द्र बिन्द

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव मय हमराह हे0कां0 विकास मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अरविन्द पुत्र रतीराम यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़िया थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 256/018 धारा 457/380/411 भादवि थाना महोबकंठ में मा0 न्यायालय जे0एम0 कुलपहाड़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पहाड़िया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव

2.हे0कां0 विकास मिश्रा

गिरफ्तार अभियुक्त –

अरविन्द पुत्र रतीराम यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़िया थाना महोबकंठ जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सूपा मय हमराह का0 सुदयवीर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2025 धारा 69/108/333/351(3) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त रहीस उर्फ रईस पुत्र अनीस उल्ला उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मो0 भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजी गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सूपा
2. का0 सुदयवीर

गिरफ्तार अभियुक्त :-

रहीस उर्फ रईस पुत्र अनीस उल्ला उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मो0 भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने
01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह का0 विनय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 269/25 धारा 352/333/115(2)/110/118(1)/324(4)/351(3) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त आलोक सिंह पुत्र विशाल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. का0 विनय प्रताप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

आलोक सिंह पुत्र विशाल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत मिशन शक्ति टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चलाया गया जन-जागरूकता कार्यक्रम।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 24.09.2025 को जनपद के समस्त थानों पर गठित मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो स्क्वॉड द्वारा थाना क्षेत्र में स्थापित दुर्गा पण्डालों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं – मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

साथ ही, महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986); तथा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देकर आमजन को जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र थाना कबरई का औचक निरीक्षण किया गया, दुर्गा पंडालों में महिलाओं-बलिकाओं से किया संवाद एवं थाना कबरई क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

आज दिनांक 24.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र थाना कबरई का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र के सुचारु संचालन हेतु तय किए गए मानकों का विधिवत परीक्षण कर अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इसी क्रम में थाना कबरई की मिशन शक्ति टीम के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पंडालों में मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें निम्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई-

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- वन स्टॉप सेंटर
- 181 महिला हेल्पलाइन
- पति मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना
- प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास

साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त एवं संरक्षित करने वाले प्रमुख कानूनों — घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013; दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधित 1986); तथा PCPNDT अधिनियम 1994 की जानकारी भी विस्तार से प्रदान की गई।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत मिश्रित आबादी वाले स्थानों, प्रमुख कस्बों एवं बाजार क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए थाना पुलिस को कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा "ऑपरेशन क्लीन-2" के अंतर्गत लावारिस वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में जनपद के समस्त पैरोकार के साथ गोष्ठी आयोजित कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

आज दिनांक 24.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में समस्त थानों के पैरोकार के साथ "ऑपरेशन क्लीन-2" के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के थानों पर खड़े लावारिस वाहनों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उन्हें नियमानुसार निस्तारित कराना है।

इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी थानों के पैरोकारों को निर्देशित किया कि:-

- थानों पर खड़े लावारिस वाहनों की सूची तैयार की जाए और उनका रिकॉर्ड व्यवस्थित रखा जाए।
- न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त कर वाहनों के नियमित निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाए।
- अभियान के दौरान जनसामान्य की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
- सभी थानों में समय-समय पर समीक्षा और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने स्पष्ट किया कि यह अभियान सभी थानों के कर्मचारियों को सक्रिय भागीदारी और अनुशासन के साथ कार्यवाही करनी होगी ताकि अभियान का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नवरात्रि पर्व को लेकर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।

आज दिनांक 24.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा नवरात्रि पर्व को शातिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया गया।

निरीक्षण के दौरान थाना क्षेत्र के प्रमुख कस्बों, बाजारों, संवेदनशील स्थानों एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकि से जायजा लिया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा ने विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोगों से बातचीत कर आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सहयोग बनाए रखने की अपील की।

साथ ही, सभी नागरिकों को नवरात्रि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस की सतत निगरानी के प्रति आश्वस्त किया गया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी निर्देश दिए कि सभी थाने इस पर्व में चौकसी बढ़ाकर कानून-व्यवस्था एवं यातायात नियंत्रण सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनता की सुरक्षा एवं उनके उत्सवों की शांति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस पूरी तत्परता के साथ नवरात्रि पर्व में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध शस्त्र व जिंदा कारतूस की बरामदगी पर नामित अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अतिरिक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है:-

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 613/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोपाल पुत्र रंजीता रैकवार निवासी सदर थाना राठ हमीरपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कृष्ण पाल सिंह
अभियोजन अधिकारी

कां. जयनारायण सिंह
पैरोकार थाना पनवाड़ी

Meticulous Investigation & Prosecution

ऑपरेशन कन्विक्शन | महोबा पुलिस

"नाबालिग के साथ दुष्कर्म" की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये जुर्माने की मिली सजा।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.09.2025 को विशेष पाक्सो, कोर्ट महोबा द्वारा "वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने" के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

❖ विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत मु.अ.सं. 68/2021 धारा 376/323/504/506 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बौना पुत्र पुन्ना कुशवाहा निवासी ग्राम बरभौली थाना खन्ना जनपद महोबा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक

आ0. कुंजबिहारी
पैरोकार थाना खन्ना महोबा